अमरोह

आम्लीय रिमाण्ड
3.07.2019

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

श्रीमती सुवादेवी बनाम श्री प्रवीण श्रीवास्तव

किस्म मुकदमा 225 RTA नम्बर 192 सन् 2019 (अजमेर).

2019/00192 (ग्राम किरानीपुरा)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री मोहम्मद इकबाल, एड० अपील० श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
31.5.19	यह अपील श्री मौहम्मद इकबाल एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 08.04.2019, प्रकरण संख्या 18/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी राजस्व अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हों। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/वादीगण ने एक राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 व 92 ए राज.काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित खसरा नम्बर 539 रकबा 0.35 है. में से 7/62 हिस्सा वादीगण का है जो सलंग्न जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 से स्पष्ट है। रेस्पोडेन्टस का उक्त आराजीयात से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। उसके उपरान्त भी अपीलांट की खातेदारी आराजीयात पर कब्जे काश्त में दखलंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न कर रहा है इसलिए वाद पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हैं तथा वाद पत्र के कथनो के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा (राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति) से पाबंद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 08.04.2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये है जबकि प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किये जाने से पूर्व प्रार्थीगण के अभिभाषक सुनी गई जिसका उक्त आदेशिका में कई पर अंकन नहीं किया गया है और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आगामी पेशी दिनांक 18.04.2019 नियम की गई। जिसके पश्चात उपरोक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पेशी दिनांक 06.05.2019 को भी सुनवाई नही होने पर प्रार्थीगण /अपीलांट के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर में स्थित खसरा नम्बर 539 रकबा 0.35 है. में से 7/62 हिस्सा की ताफैसला अपील राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें या मान्नीय न्यायालय हाजा चाहे तो अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 08.04.2019 में संशोधन करते हुए विवादित आराजी खसरा नम्बर 539 रकबा 0.35 है. में से 7/62 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे। अभिभाषक अपीलांटस की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई कर बिना आदेश पारित किये ही	निरन्तर......

अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

192/2019/225 श्रीमति सुवादेवी वगैरह V/S प्रवीण अग्रवाल

तारीख पेशी	2019/00192 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री मोहम्मद इकबाल, एस. आर. ओ. श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
निरन्तर---	अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये हैं जबकि अभिभाषक प्रार्थीगण/अपीलांट ने अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. में कथन किया कि विवादित आराजी प्रार्थीगण/अपीलांटस की खातेदारी काश्तकारी की है। इस बाबत् प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के साथ जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण/अपीलांटस द्वारा की गयी प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंकन नहीं किया हैं प्रार्थीगण/अपीलांटस विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से रेस्पोडेन्टस उनकी खातेदारी मे बाधा उत्पन्न करते है तो प्रथम दृष्टया क्षति अपीलांटस को ही होती है। यह अपील अन्तरित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं और अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए पक्षकारान के समय एवं आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण उक्त आदेश की अवधि से 30 दिवस में करें तब तक उभय पक्षकारान विवादित आराजी खसरा नम्बर 539 रकबा 0.35 है. में से 7/62 हिस्सा की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखना उचित समझते है। **अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण इस आदेश के प्राप्ति की अवधि से 30 दिवस में करें। तब तक उभयपक्षकारान विवादित आराजी खसरा नम्बरा 539 रकबा 0.35 है0 वाकै ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण होने पर उक्त आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** 31/5/19	